उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

6/3/26

पत्रावली पेश। वकील वादी उप० आये।
वादी का वाद अस्वीकार। खारिज किया जाता
जो विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर
पत्रावली शामिल किया गया। पत्रावली के [illegible]
सुनाये [illegible] के बाद [illegible] पत्रावली
जमा रिकार्ड कार्यालय में शामिल हो

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :– सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

वाद संख्या
201/2024

दायर दिनांक
17.09.2024

निर्णय दिनांक
06.03.2026

बउनवान

1. महेन्द्र पुत्र नन्दराम जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0। :– वादी

बनाम

1. अमीलाल पुत्र रणजीत जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
2. इन्द्रजीत सिंह पुत्र विरेन्द्र जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
3. कौशल्यादेवी पुत्री घीसाराम जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
4. घीसाराम पुत्र रगवीर जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
5. जसवन्त पुत्र रगवीर जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
6. दलबीर पुत्र रामेश्वर जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
7. प्रतापसिंह पुत्र घीसाराम जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
8. बलवीर पुत्र रगवीर जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
9. मंजू देवी पुत्री विरेन्द्र जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
10. मनजीत सिंह पुत्र विरेन्द्र जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
11. मुरारीलाल पुत्र रणजीत जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
12. महेन्द्र पुत्र रिछपाल जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
13. यादराम पुत्र घीसाराम जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
14. श्रतीराम पुत्र ओमप्रकाश जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
15. रामकला देवी पुत्र जवाहर जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
16. विजय सिंह पुत्र रगवीर जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

17. वीरसिंह पुत्र घीसराम जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
18. शेरसिंह पुत्र रगवीर जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
19. सन्तरा देवी पुत्री घीसाराम जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
20. सन्तोष देवी पुत्री घीसाराम जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
21. सुबेसिंह पुत्र रणजीत जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
22. हरपाल पुत्र रामेश्वर जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
23. कृष्णा पुत्री रामसिंह जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
24. भूपसिंह पुत्र हरिसिंह जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
25. मुकेश देवी पुत्री रामसिंह जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
26. मंजू पुत्री रामसिंह जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
27. मनोज देवी पुत्री रामसिंह जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
28. रमेशचन्द पुत्र हरिसिंह जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
29. राजेश कुमार पुत्र रामसिंह जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
30. रामकला पुत्री रामसिंह जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
31. रामरति पुत्री हरिसिंह जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
32. सुरेशचन्द पुत्र हरिसिंह जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
33. सावित्री पत्नी रामसिंह जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
34. सामोती पुत्री हरिसिंह जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
35. हसंराज पुत्र हरिसिंह जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
36. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर राज0।
37. श्रीमान उप पंजियक महोदय, मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: प्रतिवादीगण

38. धर्मवीर पुत्र नन्दराम

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

39. उदयभान पुत्र नन्दराम जातियान अहीर निवासीयान सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

—: तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्री अनिल यादव :— अधिवक्ता वादी

वादी ने अपने वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि आराजी हाल ख0 न0 263 रकबा 0.23 है0, 264 रकबा 0.11 है0, का 1/6 भाग वाके ग्राम सियाखोह तह० मुण्डविर में स्थित है। जो आराजी इस वाद में विवादित आराजी कहलायेगी। नकल हाल जमाबन्दी संलग्न है।
2. यह है कि वर्तमान सैटलमेंट स0 2070 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा गत ख0 न0 199 रकबा 17 बिस्वा से हाल ख0न0 263 रकबा 0.23 है0, व गत ख0न0 200 रकबा 9 बिस्वा से हाल ख0 न0 264 रकबा 0.11 है0, पैगूद किया गया है।
3. यह है कि सैटलमेंट सम्वत 2029 में राजस्व कर्मचारियों साबिक ख0न0 99 मिन रकबा 18 बिस्वा से गत ख0न0 199 व साबिक ख0न0 99 मिन रकबा 4 बिस्वा व साबिक ख0न0 100 मिन रकबा 5 बिस्वा से गत ख0 न0 200 रकबा 9 बिस्वा पैमूद किया गया है।
4. यह है कि साबिक आराजी ख0न0 99 मिन व साबिक ख0न0 100 मिन वादी व तर0 प्रतिवादीगण के पडदादा बेगराज के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी रही है तथा मिन वादी व तर० प्रतिवादीगण के पडदादा बेगराज के नाम राजस्व रिर्कोड में 1 बैल आराजी दर्ज रही है तथा मिन वादी व तर० प्रतिवादी के पडदादा बेगराज के फौत होने पर आराजी मिन वादी के पडदादा के वारिसान को जरियें विरास्त प्राप्त हुयी तथा मिन वादी के पडदादा के वारिसाना मनिया, कालिया व झम्मन के फौत होने पर आरांजी मिन वादी के दादा व पिता को प्राप्त हुयी तथा मिन वादी के दादा व पिता के फौत होने पर आराजी मिन वादी व तर0 प्रतिवादीगण को जरियें विरास्त प्राप्त हुयी है। मिन वादी के खानदान का सजरा निम्न प्रकार है—

बेगराज

मनिया	कालिया	झम्मन
|	लावल्द फौत	|
नन्दराम बलवीर		सरबती — फौत
|		
महेन्द्र धर्मवीर उदयभान		

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

5. यह है कि सम्वत 2018 में वादी के पडदादा बेगराज के नाम आराजी राजस्व रिर्कोड में दर्ज रही है, तथा मिन बादी के पडदादा के फौत आने पर आराजी मिन वादी के पूर्वजों को प्राप्त हुयी तथा मिन वादी के पूर्वजों के फौत होने पर आराजी मिन वादी व तर० प्रतिवादीगण को प्राप्त हुयी है, तथा मौके पर मिन वादी व तर० प्रतिवादीगण अपर्न हिस्से पर काबिज काश्त है, लेकिन प्रतिवादीगण के पूर्वज बडे ही चतुर व चालाक प्रवृति के व्यक्ति रहे है, जो वक्त सैटलमेंट सम्वत 2029 में राजस्व श्कर्मचारियों से साजबाज होकर साबिक ख०नम्बरान से हाल ख0न0 99 व 100 पैमूद करते समय मिन वादी व तर० प्रतिवादी के पडदादा व दादा के नाम का अंकन 1 बैल हिस्से को हजफ कराकर, तन्हा अपने नाम दर्ज करा लिया, तथा राजस्व कर्मचारियों को भी राजस्व रिर्कोड में पूर्व की ऐन्ट्री को चेंज करने का कोई हक व अधिकार नही रहा है, लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के खिलाफ मौका व खिलाफ कानून मिन वादी के पडदादा के नाम का अंकन को हजफ कर, प्रतिवादी स0 1 ल0 35 के नाम खिलाफ मौका व खिलाफ कानून दर्ज कर दिया,। इसलिए मिन वादी व तर० प्रतिवादीगण विवादित आराजी में अपने अपने आपकों 1 बैल का कब्जेकाश्त खातेदार घोषित कराकर, राजस्व रिर्कोड में अपने हक व हिस्से तक प्रतिवादी स0 1 ल0 35 का नाम हजफ कराकर, राजस्व रिर्कोड दूरूस्त कराने का अधिकारी। इसलिए दावा इश्तकरारहक मय दूरुस्ती पेश किया जाना लाजिमी आया है।

6. यह है कि मिन वादी व तर० प्रतिवादीगण अपने पूर्वजों से जरियें विरास्त प्राप्त आराजी पर काबिज है तथा काश्त कर रहे है तथा कभी राजस्व रिर्कोड देखने की आवश्यकता नही पडी, इसलिए गलत अंकन की जानकारी नहीं हो सकी, लेकिन अब दिनांक 29/7/2023 को मिन वादी को राजस्व रिकॉड की आवश्यकता होने पर हल्का पटवारी से सर्म्पक किया तथा राजस्व रिकोड की नकल चाही तो उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुयी, जिसकी जानकारी होने पर साबिक राजस्व रिर्कोड की नकूलाय प्राप्त कर, दिनांक 25/8/2024 को प्रतिवादी स0 1 ल0 35 से राजस्व रिकॉड दूरुस्त कराने बाबत कहा तो प्रतिवादी स0 1 ल0 35 ने राजस्व रिर्कोड दूरूस्त कराने से मना कर दिया तथा आराजी बेचान करने की धमकी दी है। बस यही वाद हेतु बिनायदावी व बिनायमुखारमत पैदा होकर दावा अविलम्ब ही अदालत श्रीमान के समक्ष पेश किया जा रहा है।

7. यह है कि विवादित आराजी मिन वादी व तर० प्रतिबादी की पैत्रिक आराजी रही है, जो आराजी मिन वादी व तक प्रतिवादी को जरियें विरास्त प्राप्त हुयी है, लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा खिलाफ मौका व खिलाफ कानून प्रतिवादी सं0 1 ल0 35 के पूर्वजों के नाम दर्ज कर दिया तथा प्रतिवादी स0 1 ल0 35 के पूर्वजों के फौत होने पर आराजी प्रतिवादी स० 1 ल0 35 के नाम दर्ज हो गयी तथा प्रतिवादीगण राजस्स्व रिकॉड में दर्ज गलत इन्द्राज का बेजा फायदा उठाकर, आराजी का बेचान करना चाहते है तथा मिन बादी को उनके हिस्से की आराजी से बेदखल करने पर आमादा हो रहे है तथा आराजी पैत्रिक होने के कारण सुविधा का सन्तुलन व बैलेंस आफ कन्चीनेंस मिन वादी के पक्ष में आयद वो साबित है तथा यदि वाकई प्रतिवादी स0 1 ल० 35 अपने इन बेजो नापाक इरादों में कामयाब हो गया तथा विवादित आराजी का बेचान कर मिन वादी को आराजी से बेदखल

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

कर दिया तो मिन वादी को नापूर्ती होने वाली क्षति कारित होगी, चूंकि मिन वादी के अधिकार कानून द्वारा रक्षित है, इसलिए मिन वादी अपने हक च अधिकारों की रक्षार्थ प्रतिवादीगण को हु० ई०दवानी से पाबन्द कराने का अधिकारी है। इसलिए इश्तकरारहक मय दूरूस्ती वो दावा हु० ई० दवागी पेश किया जाना लाजिमी आया है।

8. यह है कि दावा के लिये बिनायदावी व बिनायमुखास्मत दिनांक 29/7/2023 को गलत इन्द्राज की जानकारी होने व प्रतिवादी स0 1 ल0 37 द्वारा राजस्व रिर्कोड दुरूस्त कराने से दिनांक 25/8/2024 को मना करने व आराजी का बेचान करने की ऐलानिया धमकी देने से पैदा होकर दावा अन्दर अवधि पेश है।

वादी ने अपने वाद के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि :–
अतः वाद वादी व तर0 प्रतिवादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्नः प्रकार डिकी फरमाया जावे।

(अ) यह है कि डिकी इश्तकरारहक मय दूरूस्ती इस प्रकार पारित किया जावे कि आराजी आराजी हाल ख0न0 263 रकबा 0.23 है0, 264 रकबा 0.11 है0, वाके ग्राम सियाखोह तह० मुण्डावर में मिन वादी व तर0 प्रतिवादीगण को 1/6 समभाग का कब्जेकाश्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर, मिन वादी व तर0 प्रतिवादी के हक व हिस्से तक राजस्व रिर्कोड में दर्ज प्रतिवादी स0 1 लगायत 35 का नाम हजफ कर, राजस्व रिकॉड दूरूस्त फरमाया जावे व इसी प्रकार से राजस्व रिर्कोड में अंकन दर्ज कर, राजस्व रिकॉड दूरूरत फरमाया जावे।

(ब) यह है कि डिकी हु० ई०दवामी से प्रतिवादी को पाबन्द किया जावे कि वो आराजी हाल स0 263 रकबा 0.23 है0, 264 रकबा 0.11 है0, वाके ग्राम सियाखोह तह0 मुण्डावर को कही रहन, वैय हिबा इत्यादि से मुन्तकिल ना करे, ना ही मिन वादी को आराजी से बेदखल करे, ना ही मिन वादी के काश्त कार्य में मजाहमत पैदा करे, व राजस्व रिर्कोड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे।

(स) यह है कि खर्चा मुकदमा मिन वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

(द) अन्य दादरसी बनजदीक अदालत श्रीमान उचित समझे बख्सी जावे।

वादी का वाद को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की विधिवत रूप से तामिल करवाई गई, प्रतिवादीगण की विधिवत रूप से तामिल होने के बाद उपस्थित नही होने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी ने अपने दावे के समर्थन में प्रदर्श – 1 जमाबन्दी सम्वत 2072–75 किता–2, प्रदर्श–2 मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2071, प्रदर्श–3 जमाबन्दी सम्वत 2029, प्रदर्श–4 जमाबन्दी सम्वत 2032, प्रदर्श–5 भू0 प्रबंधक सैटलमेन्ट किता–2, प्रदर्श–6 मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2029, प्रदर्श–7 जमाबन्दी सम्वत 2017, प्रदर्श–8 जमाबन्दी सम्वत 2016, प्रदर्श–9 जमाबन्दी सम्वत 2004, प्रदर्श–10 जमाबन्दी सम्वत 2000, प्रदर्श–11 जमाबन्दी सम्वत 1991, प्रदर्श–12 जमाबन्दी सम्वत 1992, प्रदर्श–13 जमाबन्दी सम्वत 1990 पेश की।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

लिखित बहस वादी की और से निम्न पेश है।

1. यह है कि वाद में विवादित आराजी ख0 नं0 हाल 263/0.23 है0, 264/0.11 है0, का 1/6 भाग वाके ग्राम सियाखोह तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है। सैटलमेन्ट सम्वत् 2071 में ख0 नं0 263 का साबिक ख0 नं0 199 रकबा 17 बिस्वा व ख0 नं0 264 का साबिक ख0 नं0 200 रकबा 9 बिस्वा पैमूद हुये है। जिसमें मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 2 है।
2. यह है कि सम्वत् 2029 में सैटलमेन्ट में ख० नं0 199 रकबा 18 बिस्वा का साबिक नं0 99 रकबा 18 बिस्वा बना है तथा ख० नं० 200 रकबा 9 बिस्वा का साबिक ख0 नं0 99 रकबा 4 बीघा व साबिक ख० नं0 100 में से 5 बिस्वा पैमूद किया गया जो मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 6 है।
3. यह है कि साबिक नं0 99 व साबिक नं0 100 वादी व तरप्रतिवादी के पडदादा बेगराज के नाम एक बैल जमाबन्दी सम्वत् 2090 जो प्रदर्श 13 है जमाबन्दी सम्वत् 2091 जो प्रदर्श 11 है जमाबन्दी सं० 1992 जो प्रदर्श 12 है जिसमें बेगराज के नाम खातेदारी दर्ज है।
4. यह है कि वादी व तरप्रतिवादी के पडदादा बेगराज के फौत होने के बाद बेगराज के तीन पुत्र वारिसान थे जिसमें मनिया, कालिया व झम्मन पुत्रान बेगराज थे, बेगराज की विरासत तीनो वारिसान के नाम दर्ज हो गयी जो जमाबन्दी सम्वत् 2000 जो प्रदर्श 10 है। जमाबन्दी सम्वत् 2004 जो प्रदर्श 9 है, जमाबन्दी सम्वत् 2016 जो प्रदर्श 8 है, जमाबन्दी सम्वत् 2017 जो प्रदर्श 7 है, में मनिया, कालिया, झम्मन पुत्रान बेगराज 1 बैल दर्ज खातेदार रहा है।
5. यह है कि सम्वत् 2029 सैटलमेन्ट के दौरान राजस्व कर्मचारियों ने बेगराज के वारिसान मनिया, कालिया, झम्मन का नाम हजफ कर उनके सम्पूर्ण हिस्से पर प्रतिवादीगण के दादा व पडदादा मूंगा पुत्र दूला, ओंकार पुत्र श्योराम सम्भाग 1/2 व रिछपाल, चुन्ना, झूथा पुत्रान पिराना के नाम गलत अंकन दर्ज कर दिया जो अंकन गलत है जो दुरूस्ती का मोहताज है दुरूस्त किया जावे।
6. यह है कि बेगराज के तीन पुत्र मनिया, कालिया, झम्मन थे जिसमें कालिया लावल्द फौत हो गया तथा झम्मन के एक लडकी सरबती हुयी जो भी अविवाहित ही फौत हो गयी एवं मनिया के दो पुत्र नन्दराम व बलबीर हुये जिसमें बलबीर लावल्द फौत हो गया तथा नन्दराम के तीन पुत्र हुये जो वादी व तरप्रतिवादीगण है।
7. यह है कि उक्त वाद में प्रतिवादीगण एक्सपार्टी हो गये तथा वादी ने अपने वाद में तीन गवाह पेश हुये जिसमें स्वंय वादी, लालाराम पुत्र जाटिया, रघुवीर पुत्र जयराम दो गवाह को साक्ष्य के रूप में पेश किया जिन्होंने वाद को ताईद किया।
8. यह है कि वादी दस्तावेजी एवं साक्ष्य से अपने वाद को साबित किया है कि वाद में विवादित आराजी ख0 नं0 हाल 263/0.23 है0, 264/0.11 है0, का 1/6 भाग वाके ग्राम सियाखोह तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है जिस पर वादी व तरप्रतिवादीगण ही मौके पर 1/6 भाग पर काबिज काश्त है तथा पूर्व में वादी व तरप्रतिवादीगण के बुजुर्गान पडदादा काबिज काश्त करते आये है। इसलिये वादी व तरप्रतिवादीगण को आराजी ख0 नं0 हाल 263/0.23 है0, 264/0.11 है0,

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

का 1/6 भाग वाके ग्राम सियाखोह तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है के 1/6 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा वादी व तरप्रतिवादीगण के 1/6 भाग तक प्रतिवादीगण का नाम कलमजन किया जावे।
अतः लिखित बहस पेश कर वादी का वाद डिकी किये जाने की कृपा करे। श्रीमानजी की महति कृपा होगी।

वादी के वाद, वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन, वादी वकील की लिखित बहस पर मनन करने पर वादी के वाद का विवेचन इस प्रकार है कि :–

1. विवाद का सार

वादी महेन्द्र ने यह वाद प्रस्तुत किया कि ग्राम सियाखोह स्थित आराजी खसरा नं. 263 रकबा 0.23 हे. एवं खसरा नं. 264 रकबा 0.11 हे. में उसका एवं तरतीबी प्रतिवादियों का पैतृक अधिकार है तथा वर्तमान राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादीगण का नाम गलत अंकित है। वादी ने स्वयं को 1ध्6 भाग का खातेदार घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त कराने तथा प्रतिवादीगण को भूमि हस्तांतरण से रोकने की प्रार्थना की।
प्रतिवादीगण तामील के पश्चात उपस्थित नहीं हुए, अतः एक–पक्षीय कार्यवाही हुई। तथापि केवल एक–पक्षीय कार्यवाही होना वाद को स्वतः सिद्ध नहीं करता, वादी को अपना दावा विधि एवं साक्ष्य से सिद्ध करना अनिवार्य होता है।

2. विचारणीय बिन्दु

वाद से निम्न प्रश्न विचारार्थ बनते हैं –

क्या वादी विवादित भूमि का सह–खातेदार/खातेदार काश्तकार सिद्ध हुआ?
क्या राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि गलत एवं अवैध सिद्ध हुई?
क्या वाद समयबद्ध (within limitation) है?
क्या वादी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है?

3. साक्ष्य का परीक्षण

(क) दस्तावेजी साक्ष्य

वादी ने जमाबन्दियां सम्वत 1990 से 2075 तक एवं मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किये। इनका परीक्षण करने पर निम्न तथ्य सामने आते हैं –
वर्तमान जमाबन्दी में प्रतिवादीगण/उनके पूर्वजों का नाम नियमित रूप से अंकित चला आ रहा है। वादी अथवा उसके पिता/दादा का नाम हाल के राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के रूप में अंकित नहीं है। वादी ने ऐसा कोई आदेश प्रस्तुत नहीं किया जिससे पूर्व प्रविष्टि को अवैध घोषित किया गया हो। राजस्व अभिलेख (जमाबन्दी) विधि अनुसार प्राथमिक साक्ष्य (presumption of correctness) रखते हैं। जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरस्त न किया जाए, इन्हें सही माना जाता है। वादी इस विधिक अनुमान को खंडित नहीं कर सका।

(ख) मौखिक साक्ष्य

वादी ने स्वयं तथा दो गवाह पेश किये। परन्तु – दोनों गवाह रिश्तेदारी/ग्राम के सामान्य व्यक्ति हैंय प्रत्यक्ष कब्जा या सीमांकन का स्वतंत्र प्रमाण नहीं दिया।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

किसी पटवारी, गिरदावर, या राजस्व अधिकारी को साक्ष्य में पेश नहीं किया गया। मौके का नक्शा, सीमांकन रिपोर्ट, कब्जे का पंचनामा या फसल काश्त का कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं हुआ। अतः मौखिक साक्ष्य स्वतंत्र व विश्वसनीय नहीं पाया गया।

4. वादी का दावा कानूनी दृष्टि से असिद्ध

(1) लम्बे समय से चली आ रही प्रविष्टि

वादी का कथन है कि सैटलमेंट सम्वत 2029 में गलत अंकन हुआ।
अर्थात लगभग 50 वर्ष से अधिक समय से प्रविष्टि चली आ रही है।
इतने दीर्घकाल तक किसी ने आपत्ति नहीं की। इससे निम्न विधिक निष्कर्ष निकलता है। प्रविष्टि स्वीकृत (acquiesced) मानी जाएगी। वादी का कथन संदेहास्पद हो जाता है

(2) सीमा–अवधि (Limitation)

वादी को कथित गलत प्रविष्टि की जानकारी 29.07.2023 बताई गयी है, परन्तु– प्रविष्टि दशकों से सार्वजनिक रिकॉर्ड में उपलब्ध थी, राजस्व रिकॉर्ड सार्वजनिक दस्तावेज होते हैं। अज्ञानता (ignorance of record) सीमा–अवधि बढ़ाने का आधार नहीं। अतः वाद अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत है और सीमा–बाधित (time-barred) है।

(3) कब्जा सिद्ध नहीं

इश्तकरार–हक का वाद तभी सफल होता है जब वादी अपना वास्तविक कब्जा निरंतर काश्त, हिस्सेदारी सिद्ध करे। वादी ने न तो फसल बुवाई, न लगान भुगतान, न गिरदावरी, न कृषि ऋण, न बिजली कनेक्शन आदि कोई प्रमाण दिया। अतः कब्जा सिद्ध नहीं हुआ।

(4) केवल वंशावली पर्याप्त नहीं

वादी ने केवल वंश वृक्ष (सजरा) प्रस्तुत किया।
परन्तु विधि में केवल पैतृक संबंध साबित करना, खातेदारी अधिकार साबित करने के समान नहीं है। खातेदारी अधिकार राजस्व रिकॉर्ड या सक्षम आदेश से सिद्ध होता है, अनुमान से नहीं।

(5) निषेधाज्ञा (Injunction) का अधिकार नहीं

जब वादी अपना अधिकार एवं कब्जा सिद्ध ही नहीं कर पाया, तब न तो बेदखली का भय सिद्ध हुआ, न अपूरणीय क्षति सिद्ध हुई।
अतः स्थायी निषेधाज्ञा भी नहीं दी जा सकती।

5. निष्कर्ष

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि वादी खातेदारी अधिकार सिद्ध नहीं कर पाया। राजस्व प्रविष्टि गलत सिद्ध नहीं हुई। वाद अत्यधिक विलम्ब से दायर हुआ, कब्जा प्रमाणित नहीं हुआ, निषेधाज्ञा का आधार नहीं बना।
अतः वादी का दावा मात्र अनुमान, कथन एवं असमर्थित वंशावली पर आधारित है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

अतः धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत प्रस्तुत वादी महेन्द्र का वाद असिद्ध एवं आधारहीन पाए जाने से खारिज किया जाता है। पक्षकार अपने–अपने खर्च वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 06.03.2026 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद ाक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :– सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

वाद संख्या	दायर दिनांक	पर्चा डिकी दिनांक
201 / 2024	17.09.2024	06.03.2026

बउनवान

1. महेन्द्र पुत्र नन्दराम जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0। :– वादी

बनाम

1. अमीलाल पुत्र रणजीत जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
2. इन्द्रजीत सिंह पुत्र विरेन्द्र जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
3. कौशल्यादेवी पुत्री घीसाराम जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
4. घीसाराम पुत्र रगवीर जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
5. जसवन्त पुत्र रगवीर जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
6. दलबीर पुत्र रामेश्वर जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
7. प्रतापसिंह पुत्र घीसाराम जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
8. बलवीर पुत्र रगवीर जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
9. मंजू देवी पुत्री विरेन्द्र जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
10. मनजीत सिंह पुत्र विरेन्द्र जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
11. मुरारीलाल पुत्र रणजीत जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
12. महेन्द्र पुत्र रिछपाल जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
13. यादराम पुत्र घीसाराम जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

14. श्रतीराम पुत्र ओमप्रकाश जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
15. रामकला देवी पुत्र जवाहर जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
16. विजय सिंह पुत्र रगवीर जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
17. वीरसिंह पुत्र घीसराम जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
18. शेरसिंह पुत्र रगवीर जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
19. सन्तरा देवी पुत्री घीसाराम जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
20. सन्तोष देवी पुत्री घीसाराम जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
21. सुबेसिंह पुत्र रणजीत जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
22. हरपाल पुत्र रामेश्वर जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
23. कृष्णा पुत्री रामसिंह जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
24. भूपसिंह पुत्र हरिसिंह जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
25. मुकेश देवी पुत्री रामसिंह जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
26. मंजू पुत्री रामसिंह जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
27. मनोज देवी पुत्री रामसिंह जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
28. रमेशचन्द पुत्र हरिसिंह जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
29. राजेश कुमार पुत्र रामसिंह जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
30. रामकला पुत्री रामसिंह जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
31. रामरति पुत्री हरिसिंह जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
32. सुरेशचन्द पुत्र हरिसिंह जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
33. सावित्री पत्नी रामसिंह जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

34. सामोती पुत्री हरिसिंह जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
35. हसंराज पुत्र हरिसिंह जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
36. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर राज0।
37. श्रीमान उप पंजियक महोदय, मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: प्रतिवादीगण

38. धर्मवीर पुत्र नन्दराम
39. उदयभान पुत्र नन्दराम जातियान अहीर निवासीयान सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

—: तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: पर्चा डिक्री :—

वादी की ओर से **श्री अनिल यादव एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण अनुपस्थिति में इस वाद में **दिनांक 06.03.2026** को **श्री सृष्टि जैन, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निर्णय हुआ था। पर्चा डिक्री जारी की जाती है :—

वादी महेन्द्र का वाद असिद्ध एवं आधारहीन पाए जाने से खारिज किया जाता है। पक्षकार अपने—अपने खर्च वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 06.03.2026 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

6/3/26
पत्रावली पेश/वकील पक्षकार उपस्थित आये [illegible]
प्रकरण पर अतिक्रमण रिपोर्ट [illegible] हो चुका है [illegible]
अतः पत्रावली आगामी कार्यवाही [illegible]
पत्रावली [illegible] पत्रावली
[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)